न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 40/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र श्री जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर मृतक जर्ये वारिसान–
1/1. श्रीमती मालती देवी बेवा श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण,
1/2. श्रीमति प्रभादेवी पुत्री श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण,
1/3. अजय कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण,
1/4. श्रीमती कुसुम पुत्री श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... तरतीबी प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... वादी/असल रेस्पो0

2. प्रतापसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत मृतक जरिये वारिसान –
2/1. श्रीमती तारादेवी बेवा श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत बिचगांवा,
2/2. बिमल पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत बिचगांवा,
2/3. राजेन्द्र पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत, बिचगांवा,
2/4. श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्री प्रतापसिंह पत्नि श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सावंतपुर तहसील वैर जिला भरतपुर ।
2/5. श्रीमती शांति पुत्री श्री प्रतापसिंह पत्नि श्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सावंतपुर तहसील वैर जिला भरतपुर ।

..... असल रेस्पो0

3. धनजीसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी बिचगांवा,
4. रघुवीरसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी बिचगांवा ।

..... असल प्रतिवादी/रेस्पो0

5. श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण मृतक जरिये वारिसान –
5/1. श्रीमती शारदा देवी पत्नि स्व श्री निरंजनलाल जाति ब्राह्मण,
5/2. राकेश पुत्र श्री निरंजन लाल जाति ब्राह्मण निवासी बिचगांवा,
5/3. रमाकान्त पुत्र श्री निरंजनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिचगांवा,

5/4. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री निरंजनलाल पत्नि श्री जगनप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

5/5. श्रीमती मंजू देवी पुत्री श्री निरंजनलाल पत्नि श्री घीस्या उर्फ जितेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मक्खन का नंगला खेड़ली तहसील कठूमर ।

5/6. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री निरंजनलाल पत्नि श्री रविन्द्र कुमार निवासी मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

6. उमाकान्त पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिचगांवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... तरतीबी प्रति0/रेस्पो0

7. श्रीमती मामूरी पत्नि श्री ईसर जाति मेव निवासी ग्राम खेड़ली चन्द्रावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... केता/असल रेस्पो0

8. नित्यानन्द शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री भोलाराम शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुभाष मेन्दीरत्ता अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1, 6, 8
3. श्री गणपतसिंह नरूका अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 7

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत जारी स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 681 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 688 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 689 रकबा 16 बिस्वा व 767 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है । चूंकि दौराने अपील असल रेस्पो0 ने आराजी ख0 नं0 267 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में से अपना हिस्सा 3/5 स्थगन आदेश के बाद भी अपील हाजा में दर्ज रेस्पो0 सं0 7 श्रीमती मामूरी को गलत तौर पर बेचान कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा वाद को कैम्प कोर्ट बिचगांवा में बिना किसी सूचना के नियत कर दिया और दिनांक 24.5.2016 को कुछ पक्षकारान के दरमियान सशर्त राजीनामा हो जाने के कारण मूल वाद की कार्यवाही में ड्रोप करने के आदेश दि0 24.05.2016 को कर दिये जिस निर्णय व डिक्री दि0 24.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

बहस में अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि यह दावा 188 आर.टी.एक्ट का था जिसमें सशर्त राजीनामा के कथन के आधार पर वाद वादी निस्तारित किया गया है । दावा ओमप्रकाश बनाम प्रतापसिंह वगैरा था जिसमें जुगल किशोर के वारिसान है । हिस्सा 3/5 का बयनामा प्रतापसिंह को दौराने दावा व स्थगन करा दिया तथा अन्य हिस्सेदारों ने भी रेस्पो0 सं0 7 को दौराने दावा 3/5 हिस्से का बयनामा कराया है जिसमें दौराने दावा स्थगन था जिसका आज तक नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है । बाहर के व्यक्ति होने के कारण कब्जा भी नहीं है । तहत न्यायालय ने दिनांक 24.5.2016 को किसी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया । दौराने दावा प्रतापसिंह फौत हो गया तथा उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया । साथ ही उसी दौरान निरंजन भी फौत हो गया जिनके वारिसान भी रेकार्ड पर आये । प्रतिवादी पुरूषोत्तम जो अपीलांट है, दौराने दावा फौत हो गया तथा उसके वारिसान को न तो रेकार्ड पर लिया और न ही प्रार्थना पत्र पेश किया । आराजी के बेचान पर हमने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र लगाया जिसमें पक्षकार बना दिये ।

बहस में आगे कहा कि कैम्प कोर्ट में सशर्त राजीनामा किया । जब ख0 नं0 767 को मामूरी को बेच दिया तो ये रजिस्ट्री कैसे करायेगें । अतः यह राजीनामा कैसे सही होगा । मामूरी के नाम बयनामा हो गया परन्तु रेकार्ड में रघुवीर, प्रताप, धनसिंह के नाम था तो बिना बयनामा निरस्त कराये ये नया बयनामा कैसे करायेगें । जब पुरूषोत्तम मर गया तो उसके वारिसान कैसे बयनामा करायेगें । उन्होंने आगे कहा कि मेरे वारिसान के राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं हैं तथा मामूरी के भी हस्ताक्षर नहीं है । क्या वो हमारे हक में बयनामा कराने की स्वीकृति दे देगी । इसलिए सशर्त राजीनामा किस प्रकार लागू होगा । जब पुरूषोत्तम, मामूरी आदि के हस्ताक्षर नहीं हैं तो किस आधार पर तहत न्यायालय ने दावा ड्रोप कर दिया । तहत न्यायालय ने मैरिट पर निर्णय नहीं किया । इसलिए जब राजीनामा मान्य ही नहीं है तो प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2017 पेज 446 पेश की ।

असल रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस प्रतिउत्तर में कहा कि दिनांक 24.5.2016 को लोक अदालत में निर्णय तहत न्यायालय द्वारा किया गया है । लोक अदालत में पारित निर्णय अधिनियम की धारा 21 व 22 के तहत नोट एप्लीकेबल है । दिनांक 6.5.2010 को प्रार्थना पत्र 212 पेश किया गया है । बयनामा 2008 का है तथा दि0 23.9.2008 को स्टे के दौरान कैसे बयनामा हुआ । ख0 नं0 767 का प्रश्न है । अपील बिन्दु को पढ़ा और बताया कि अपील के तथ्य गलत है, बयनामा के समय कोई स्टे नहीं था । ख0 नं0 767 से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । मुझे मेरे 3/5 हिस्से से मतलब है । मेरा नामान्तकरण रूकवाने बाबत दावा किया है । मेरा हिस्सा छोड़कर ये अपना राजीनामा करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है । मेरा बयनामा 2008 का है तथा 212 का प्रार्थना पत्र सन् 2010 का है । वादी व प्रतिवादी ये दोनों ही है, मिलीभगत से दावा पेश किया है । ये सभी जुगलकिशोर के लड़के हैं । मैंने जो आराजी ख0 नं0 767 का 3/5 हिस्सा खरीदा है, उसके नामान्तकरण को रोका नहीं जा सकता है । राजीनामा में सरपंच के हस्ताक्षर है । ये अपील पेश नहीं कर

सकते हैं । ये राजीनामा इनकी साजिश है जिससे मेरा नामान्तकरण रोकना चाहते हैं । उन्होंने आगे कहा कि बयनामा को निरस्त क्यू करावें । इससे इनका कोई संबंध नहीं है । कोई ऐसी जमाबन्दी नहीं है जिससे ख0 नं0 767 में जुगलकिशोर के वारिसान का नाम दर्ज हो । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश सही है । अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि मेरा एडमिशन का ऐतराज करते, यह निर्णय लोक अदालत का नहीं है, कैम्प कोर्ट का है । इसलिए मेरी अपील दर्ज हुई है । पुरूषोत्तम 8.4.2016 को निर्णय से पूर्व ही फौत हो गया उसका मरम्मत सवाल पेश नहीं हुआ । प्रताप, धनसिंह, रघुवीर का ख0 नं0 767 में 3/5 हिस्सा था । 2/5 हिस्सा पुरूषोत्तम और ओमप्रकाश का है । प्रताप, धनसिंह व रघुवीर ने 3/5 हिस्सा हमारी मां से खरीदा था । 2/5 में अभी भी हमारा हिस्सा था । जमाबन्दी अनुसार यह आराजी जुगलकिशोर के वारिसान की है । तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराया । मेरे दावे के साथ टी.आई. का प्रार्थना पत्र है । मेरा दावा 24.2.2003 का है, उसके साथ 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र लगा है । टी.आई. का निर्णय तहत न्यायालय ने किया है । दि0 15.2.2011 को माननीय न्यायालय ने निर्णय किया जिसमें कह दिया कि साक्ष्य व सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करें । ऐसी स्थिति में राजीनामा पेश करने का इनको हक ही नहीं है । इसलिए रेस्पो0 अभिभाषक की बहस गलत है । धारा 188 आर.टी.एक्ट में इस आशय की डिक्री पारित नहीं हो सकती है । इसलिए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्यों तथा वाद वादी के तथ्यों का व निर्णय का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह राजीनामा के आधार पर राजस्व कैम्प में किया है । अपील का मुख्य बिन्दू भी यही है कि जो राजीनामा बता रहे हैं, वह रेकार्ड और तथ्यों के अनुरूप नहीं है बल्कि विपरीत है जिस पर तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 24.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील के दावे के समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । दोनों पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में दिनांक 19.04.2018 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर